

मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021

क्या आप 1 जनवरी 2021 को या उसके पहले 18 साल के हो रहे हैं? अथवा आप 18 साल के हो चुके हैं, फिर भी आप मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं?

कौन मतदाता बन सकता है?

- केवल भारतीय नागरिक ।
- केवल 18 साल से ऊपर (1 जनवरी 2021 तक) ।
- दिल्ली के साधारण निवासी ।
- पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज न हो और कभी भी एक से ज्यादा स्थान पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज न कराएं ।

**आज ही
आवेदन करें**

अपना नाम कैसे दूँ और कैसे पंजीकरण करें

- दिल्ली की प्रारूप (Draft) मतदाता सूची, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, सभी नामित स्थानों तथा www.ceodelhi.gov.in पर उपलब्ध है ।
- मतदाता सूची में अपना नाम देखें ।
- मतदाता अपना नाम <https://electoralsearch.in/> पर ऑनलाइन सर्च करें या EPIC<Space> Voter ID Card No. लिखकर 7738299899 पर SMS करें । अथवा 1950 पर फोन करें ।
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए www.nvsp.in, www.ceodelhi.gov.in अथवा अपने विधान सभा क्षेत्र के वोटर सेंटर, नामित स्थानों अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं ।

दावे तथा आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि

16.11.2020 (सोमवार)
से
15.12.2020 (मंगलवार)

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

15.01.2021 (शुक्रवार)

फार्म -6

नए पंजीकरण के लिए या एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए

फार्म -7

निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने के लिए या नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति करने के लिए

फार्म -8

निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए ।

फार्म-8A

एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर घरे में परिवर्तन होने की दशा में

पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

फार्म 6 • आवासीय प्रमाण
• आयु प्रमाण • फोटो

वोटर हेल्पलाइन नं.
1950

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

ओल्ड सेन्ट स्टीफन कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

www.nvsp.in | www.ceodelhi.gov.in

फॉलो करें



/ceodelhioffice



/ceodelhioffice



/ceodelhioffice



संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना